

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/3854

दिनांक 17/10/2025


उपरोक्त प्रकरण इनुमान सिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 220/2025

:- दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयनामक लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक
02/भूअ./2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अंतर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम झीपुर पटवारी हल्का हथौरा
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में भूमि खाता संख्या 72 में खातेदार इनुमान सिंह
पुत्र रांगामिह के स्थान पर इनुमान सिंह पुत्र रांगामिह का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का हथौरा
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/3855-56

दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

